1110 ...

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

संख्या :– पटना, दिनांक–

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि राज्य के अंदर राज्य के असंगठित कार्य क्षेत्र में कार्यरत कामगारों एवं शिल्पकारों को उनकी मृत्यु, दुर्घटना के फलस्वरूप निःशक्तता, चोट तथा असाध्य रोगों की दशा में सुरक्षा कवच प्रदान करना, इन कामगारों तथा शिल्पकारों के बच्चों को स्कूली शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृति प्रदान करना तथा उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु "बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011" बनाना आवश्यक है;

इसलिए, अब लोकहित में भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 (ग) के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा निम्नलिखित "बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011" बनाते हैं ;

"बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011"

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ – (1) यह योजना बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011 कही जा सकेगी ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह 1 अप्रैल, 2011 से प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएँ – (1) इस योजना में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) "दुर्घटना" से अभिप्रेत है वाह्य हिंसा के कारण दुर्घटना, जो दृश्यमान प्रकृति का हो और इसमें शामिल हैं :–

रेल अथवा सड़क दुर्घटना, विघुत स्पर्शाधात, सर्प दंश, डूबना, अग्नि–जलन, पेड़ अथवा भवन से गिरना, जंगली जानवरों का आक्रमण, आतंकवादी अथवा आपराधिक आक्रमण आदि। यद्यपि कि यह सूची दृष्टांत युक्त है और परिपूर्ण नहीं है:

परंतु इसमें स्वेच्छा से लगाई गई चोट, आत्महत्या अथवा नशे के कारण हुए दुर्घटना अथवा मृत्यु या आपराधिक घटनाओं में निःशक्तता शामिल नहीं किया जाएगा ।

(ख) **"दुर्घटना मृत्यु" से अभिप्रेत है दुर्घटना के कारण मृत्यु :**

परंतु दुर्घटना के 180 दिनों के अन्दर दुर्घटना के फलस्वरूप पूर्णतः एवं प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक क्षति के कारण हुई मृत्यु जो किसी अन्य कारण से हुई मृत्यु से भिन्न हो इस योजना के अधीन आच्छादित होंगी ।

(ग) **''शिल्पकार''** से अभिप्रेत है राज्य के स्वनियोजित निवासी, जो बिहार राज्य में कार्य करते हो एवं लोहारगिरी, टोकरी निर्माण, बैलगाड़ी/ सायकिल ठेला/ हाथ ठेला चालन, बढ़ईगिरी, रंगरेज, रिक्शा चालन, खिलौना निर्माण, पशु पालन, पशु चराना, कशीदाकारी, रस्सी–निर्माण, कुम्हारगिरी, नाईगिरी, हस्तकरघा, मल्लाहगिरी, मदारी कार्य का प्रदर्शन, जूता मरम्मति एवं निर्माण कार्य, भेड़–बकरी पालन, दर्जीगिरी, रफूगिरी, पत्थर काटना, फेरी लगाना, ठठेरागिरी, पटरी दूकानदार, ऑटो रिक्शा चालन, सब्जी एवं फल बिक्री, मूर्ति निर्माण, कपड़ा रंगाई, बुनाई एवं इसी प्रकृति के अन्य साधारण व्यवसाय से अपना जीविकोपार्जन करते हों। हालांकि यह सभी दृष्टांतयुक्त है और परिपूर्ण नहीं हैं ।

(घ) **''प्रखण्ड विकास पदाधिकारी''** से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रखण्ड के विकास पदाधिकारी ;

(ड़.) **''अंचलाधिकारी''** से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा अंचलों में नियुक्त अंचल पदाधिकारी ;

(च) **''आश्रित''** से अभिप्राय है मृतक की विधवा और महिला के संदर्भ में उसका पति, आश्रित का पुत्र, अविवाहित पुत्री और उसके माता–पिता / अविवाहित मृतक के संदर्भ में संयुक्त रूप से उसके माता और पिता ;

नोट – मृत्यु की स्थिति में अनुदान की राशि उसके सभी आश्रितों में समान अनुपात में वितरित की जाएगी ।

(छ) **''जिला पदाधिकारी''** से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा जिलों में नियुक्त जिला पदाधिकारी एवं जिले का समाहर्त्ता । इस परिभाषा में शामिल हैं जिला पदाधिकारी द्वारा इस योजना के अंतर्गत सभी अथवा कतिपय कृत्यों के सम्पादन हेतु विशेष रूप से प्राधिकृत जिलों में पदस्थापित अपर समाहर्त्ता या अपर जिला दण्डाधिकारी और वरीय उप समाहर्त्ता ;

(ज) **''असाध्य रोग''** से अभिप्रेत है कोई भी रोग जो योजना के अनुसूची–I में उल्लिखित हो ;

(झ) **''श्रम अधीक्षक''** से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा जिला में नियुक्त जिले का प्रभारी श्रम अधीक्षक ;

(ञ) **''स्वाभाविक मृत्यु''** से अभिप्रेत है स्वाभाविक कारणों से मृत्यु, किसी दुर्घटना द्वारा नहीं ;

(ट) **''स्थायी आंशिक निःशक्तता''** से अभिप्रेत है किसी दुर्घटना के कारण एक ऑख अथवा एक अंग की हानि और इसमें दुर्घटना अथवा किसी अन्य कारणों से किसी एक अंग के पक्षाघात के मामले शामिल हैं;

(ठ) **''पूर्ण स्थायी निःशक्तता''** से अभिप्रेत है किसी दुर्घटना के कारण दोनो ऑख अथवा दो हाथ या दो पैर अथवा एक ऑख एवं एक हाथ या एक पैर की हानि और इसमें दुर्घटना या किसी अन्य कारणों से किसी दो अंग या मस्तिष्क में पक्षाघात के मामले शामिल हैं ;

(ड) **''योजना''** से अभिप्रेत है बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011;

(ढ) **''समिति''** से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के नाम से या इसके उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित समिति ।

(ण) **''राज्य सरकार''** से अभिप्राय है बिहार सरकार;

(त) ''असंगठित कार्य क्षेत्र'' से अभिप्राय है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, के अनुसूचित नियोजनों में शामिल नियोजन ;

(थ) ''कामगार'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य का निवासी जो कि असंगठित कार्य क्षेत्र में कार्यरत हों ;

(2) शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो इसमें प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं, के अर्थ वही होगें जो बिहार राज्य के अन्दर व्यापक रूप से समझे जाते हैं।

3. यह योजना आणविक विकिरण तथा युद्ध के कारण घटित मृत्यु होने की दशा में भी लागू होगी ।

4. यह योजना उन सभी कामगारों एवं शिल्पकारों पर लागू होगी जिनकी आयु उस वर्ष की पहली जुलाई को 18 से 65 वर्ष के बीच हो, जिस वर्ष दुर्घटना घटित हुई हो :

परंतु, यह योजना उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी जो केन्द्र प्रायोजित आम आदमी बीमा योजना के अधीन आच्छादित हैं:

परंतु और कि, यह योजना उन कामगारों पर लागू नहीं होगी जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (सेवा शर्त्ते) अधिनियम, 1996 एवं इसके अधीन बनाई गई नियमावली के अधीन निबंधित हों।

5. वंशजों के उपर्युक्त क्रम में वैध आश्रितों का निर्णय अंचल अधिकारी करेंगे । अंचल अधिकारी द्वारा आश्रितों के संबंध में दिये गये निर्णय पर विवाद की स्थिति में जिला पदाधिकारी के समक्ष अपील दायर किया जाएगा तथा उनका निर्णय अंतिम होगा ।

बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार और शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना

6. इस योजना का नाम बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार और शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना होगा और यथास्थिति कामगारों एवं शिल्पकारों या उनके आश्रितों तथा बच्चों को निम्नलिखित लाभ देय होगा:–

(1) दुर्घटना के कारण कामगार या शिल्पकार की मृत्यु होने पर उनके विधिक आश्रितों को 1,00,000/– (एक लाख) रुपये का अनुदान का भुगतान किया जाएगा ।

(2) कामगार या शिल्पकार की स्वाभाविक मृत्यु होने पर रुपये 30,000/– (रुपये तीस हजार) का अनुदान उनके विधिक आश्रितों को भुगतान किया जाएगा ।

(3) कामगार या शिल्पकार की पूर्ण स्थायी निःशक्तता की स्थिति में रुपये 75,000/– (रुपये पचहत्तर हजार) के अनुदान का भुगतान किया जाएगा ।

(4) कामगार या शिल्पकार की स्थायी आंशिक निःशक्तता की स्थिति में रुपये 37,500/– (रुपये सैंतीस हजार पॉच सौ) के अनुदान का भुगतान किया जाएगा।

(5) छात्रवृति के रूप में कामगार या शिल्पकार के अधिकतम दो बच्चों, जो राज्य के अंदर कक्षा 9वीं से 12वीं, सरकारी पॉलिटेक्निक तथा सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में लम्बी अवधि के व्यवसाय में अध्ययनरत हों, को प्रति माह रुपये 100/– (रुपये एक सौ) की दर से एकमुश्त 1200/–(बारह सौ रुपये) वार्षिक छात्रवृति दी जाएगी तथापि अगर बच्चा परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो अगले वर्ष उसे वित्तीय सहायता का भुगतान नहीं किया जाएगा :

(6) कामगार या शिल्पकार की दुर्घटना के फलस्वरूप चोट के लिए कम से कम पॉच दिनों तक अस्पताल में भर्त्ती होने पर उसे रुपये 5000/– (रु0 पॉच हजार) की चिकित्सीय सहायता उसके इला और उससे संबंधित खर्च हेतु दिया जाएगा ।

(7) इस योजना की अनुसूची–I में विहित असाध्य रोग से ग्रसित कामगार या शिल्पकार को चिकित्सा तथा सम्बद्ध खर्च हेतु अनुसूची में विहित दर से चिकित्सा सहायता का भुगतान किया जाएगा ।

परंतु यह चिकित्सा सहायता राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा सूत्रित किसी योजना के अधीन देय सहायता के अतिरिक्त होगी ।

(8) इस योजना के अधीन किये जाने वाले भुगतान रेखांकित चेक अथवा डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में किये जाएंगे ।

7. इस योजना के अधीन लाभ प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया :–

(1) मृत्यु के मामले –

(क) प्राकृतिक मृत्यु और दुर्घटना के कारण मृत्यु होने की दशा में विहित प्रपत्र–I में अनुदान की स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र मृत्यु की तिथि से यथासंभव शीघ्र संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / श्रम अधीक्षक / जिला पदाधिकारी के समक्ष दिया जा सकेगा । ये आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में जिला कार्यालय / अनुमण्डल कार्यालय / प्रखण्ड कार्यालयों और पंचायतों / नगर निगम कार्यालयों में रखे जाएंगे ।

(ख) प्रपत्र अनुपलब्ध होने की स्थिति, में सादा कागज पर आवेदन पत्र सभी आवश्यक कागजातों के साथ दिया जा सकेगा।

(ग) उक्त आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जाएंगे :–

(i) मृतक का आवासीय प्रमाण–पत्र ;

(ii) अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत आश्रितों का प्रमाण पत्र ;

(iii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र (दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की दशा में, राजकीय चिकित्सा पदाधिकारी से अन्यून पंक्ति के चिकित्सक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की अपेक्षा की जाएगी);

(iv) दुर्घटना के संबंध में पुलिस थाना में दी गयी सूचना की प्रति / मुखिया / वार्ड पार्षद द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र अगर पुलिस थाना में जानकारी देना विधि द्वारा अपेक्षित न हो ;

(v) मृत्यु प्रमाण पत्र या अन्वेषण प्रतिवेदन या पंचनामा (केवल दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर) ;

(vi) मृतक के उम्र का सबूत ;

(vii) मृतक के कार्य की प्रकृति विनिर्दिष्ट करते हुए जिसमें वह संलग्न था, यथास्थिति, संबंधित मुखिया / पंचायत के वार्ड सदस्य / पंचायत समिति के सदस्य या संबंधित शहरी क्षेत्र के वार्ड पार्षद द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ;

(2) निःशक्तता के मामले – (क) पूर्ण स्थायी निःशक्तता एवं आंशिक निःशक्तता के मामले में अनुदान हेतु आवेदन दुर्घटना के दिन से यथासंभव शीघ्र फार्म–2 में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी

/श्रम अधीक्षक /जिला पदाधिकारी को दिया जा सकेगा। ये आवेदन प्रपत्र पर्याप्त संख्या में सभी जिला कार्यालयों/ अनुमण्डल कार्यालयों/ प्रखण्ड कार्यालय एवं पंचायत कार्यालयों में रखे जाएंगे ।

(ख) फार्म–2 की अनुपलब्धता की स्थिति में आवेदन सादा कागज पर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ दिया जा सकेगा ।

(ग) संबंधित आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे :–

(i) आवासीय प्रमाण पत्र ;

(ii) उम्र का सबूत ;

(iii) एक फोटोग्राफ, जिसमें आवेदक द्वारा अपने निःशक्तता की स्थिति दर्शायी गई हो ।

(iv) पुलिस स्टेशन को दुर्घटना के बारे में दी गई सूचना की प्रति या यदि पुलिस स्टेशन को सूचना देना विधि के अधीन अपेक्षित नहीं हो तो दुर्घटना के संबंध में मुखिया/वार्ड पार्षद द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।

(v) सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र । (सरकारी अस्थि शल्य चिकित्सक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की अपेक्षा की जाएगी)

(vi) मुखिया / पंचायत के वार्ड सदस्य / सदस्य पंचायत समिति / शहरी क्षेत्र के मामले में वार्ड पार्षद द्वारा, कार्य की प्रकृति को विनिर्दिष्ट करते हुए जिसमें आवेदक लगा हो या लगा हुआ था, निर्गत प्रमाण पत्र ।

(3) बच्चों को छात्रवृति – (क) छात्रवृति हेतु आवेदन विहित प्रपत्र– 3 में अपेक्षित दस्तावेजों के साथ यथास्थिति उस विद्यालय के प्रधानाचार्य या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय / औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान / पोलिटेकनिक के प्राचार्य के माध्यम से, जिसमें आवेदक अध्ययन कर रहा हो, कार्यकारी निदेशक, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, पटना को दिया जा सकेगा। ये आवेदन फॉर्म पर्याप्त संख्या में जिला कार्यालयों / अनुमण्डल कार्यालयों / प्रखण्ड कार्यालयों / पंचायत / नगर पालिका कार्यालयों / उच्च विद्यालय / उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों / पोलिटेकनिक में रखे जाएंगे ।

(ख) फार्म–3 की अनुपलब्धता के मामले में, आवेदन सादे कागज पर अपेक्षित दस्तावेजों के साथ दिए जा सकेंगे।

(ग) उच्च विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/ पोलिटेकनिक के प्राचार्य आवेदन को जॉचोपरान्त कि आवेदन सही है कार्यकारी निदेशक, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, पटना को अग्रेषित एवं दावा अनुशंसित करेंगे ।

(घ) उक्त आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे –

(i) माता अथवा पिता जो कामगार या शिल्पकार हों के उम्र का सबूत ;

(ii) माता या पिता का आवासीय प्रमाण पत्र ;

(iii) यथास्थिति संबंधित मुखिया / वार्ड सदस्य पंचायत / सदस्य पंचायत .... ,
वार्ड पार्षद (शहरी क्षेत्र) द्वारा कार्य की प्रकृति को विनिर्दिष्ट करते हुए, जिसमें आवेदक के माता–पिता लगे हुए हो, निर्गत प्रमाण पत्र ;

(iv) संबंधित मुखिया / वार्ड सदस्य पंचायत / सदस्य पंचायत समिति / या संबंधित वार्ड पार्षद द्वारा अभिप्रमाणित माता–पिता का फोटो ;

(v) संस्थान के प्रधान द्वारा अभिप्रमाणित छात्र का फोटो ;

(4) दुर्घटना के फलस्वरूप घायल होने के पश्चात अस्पताल में भर्त्ती होने पर चिकित्सीय सहायता :–

(क) किसी कामगार या शिल्पकार के दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्त्ती होने की दशा में चिकित्सीय सहायता अनुदान के लिए आवेदन घटना की तिथि से यथासंभव शीघ्र विहित प्रपत्र – 5 में श्रम अधीक्षक अथवा जिला पदाधिकारी को समर्पित किया जाएगा । ये आवेदन प्रपत्र पर्याप्त संख्या में सभी जिला कार्यालयों / अनुमण्डल कार्यालयों / प्रखण्ड कार्यालयों एवं पंचायत /नगरपालिका कार्यालयों में रखे जाएंगे ।

(ख) प्रपत्र की अनुपलब्धता की दशा में, आवेदन सादे कागज पर अपेक्षित दस्तावेजों के साथ दिया जा सकेगा।

(ग) निम्नलिखित दस्तावेज उक्त आवेदन के साथ संलग्न किए जाएंगे :–

(i) आवासीय प्रमाण पत्र ;

(ii) अस्पताल में भर्त्ती होने का प्रमाण पत्र ;

(iii) पुलिस स्टेशन में दुर्घटना के संबध में दी गई सूचना की प्रति या पुलिस स्टेशन को सूचना देना विधि के अधीन अपेक्षित नहीं हो तो यथास्थिति, मुखिया/शहरी क्षेत्र में वार्ड पार्षद का प्रमाण पत्र ;

(iv) उम्र का सबूत ।

(v) पंचायत का मुखिया / वार्ड सदस्य/ सदस्य, पंचायत समिति या वार्ड पार्षद (शहरी क्षेत्र के मामले में) जिस मामले में जो लागू हो, द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, जिससे स्पष्ट हो कि आवेदक किस प्रकृति के कार्य में संलग्न है/था ।

(vi) व्यक्ति का स्व अभिप्रमाणित ऐसा फोटोग्राफ, जिससे उसकी चोट एवं अस्पताल में भर्त्ती होना परिलक्षित होता हो ।

(5) असाध्य बीमारी के मामले में चिकित्सीय सहायता –

(क) कामगार या शिल्पकार के असाध्य बीमारी की दशा में चिकित्सीय सहायता अनुदान हेतु प्रपत्र–6 में आवेदन श्रम अधीक्षक / जिला पदाधिकारी को समर्पित किया जाएगा । ये प्रपत्र पर्याप्त संख्या में सभी जिला कार्यालयों / अनुमण्डल कार्यालयों / प्रखण्ड कार्यालय एवं पंचायत/ नगरपालिका कार्यालयों में रखे जाएंगे ।

(ख) प्रपत्र की अनुपलब्धता के मामले में आवेदन सादे कागज पर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ दिया जा सकेगा।

(ग) निम्नलिखित दस्तावेज उक्त आवेदन के साथ संलग्न किए जाएंगे :-

(i) आवासीय प्रमाण पत्र ;

(ii) आवेदक की बीमारी की प्रकृति से संबंधित चिकित्सा प्रदान करने वाले चिकित्सक अथवा अस्पताल का प्रमाण पत्र ;

(iii) उम्र का सबूत ;

(iv) यथास्थिति, मुखिया / पंचायत वार्ड सदस्य / सदस्य पंचायत समिति या शहरी क्षेत्र में संबंधित वार्ड पार्षद द्वारा कार्य की प्रकृति विनिर्दिष्ट करते हुए जिसमें आवेदक कार्यरत है/था निर्गत प्रमाण पत्र ;

(v) स्व अभिप्रमाणित एक फोटोग्राफ ;

मृत्यु एवं निःशक्तता के मामलों में आवेदन पत्रों का निपटारा

8. जिला पदाधिकारी / श्रम अधीक्षक, मृत्यु एवं निःशक्तता के मामलों में आवेदन प्राप्त होने के तुरंत बाद संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को जॉच-पड़ताल एवं प्रतिवेदन हेतु भेज देंगे।

9. (1) मृत्यु एवं निःशक्तता के मामलों में अनुदान हेतु यथास्थिति जिला पदाधिकारी या श्रम अधीक्षक से या सीधे आवेदन प्राप्त होने पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तुरन्त उसकी जॉच-पड़ताल आरम्भ करेगा ।

(2) जॉच के क्रम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मृतक अथवा निःशक्तता की दशा में आवेदक कामगार या शिल्पकार था/है या नहीं की जानकारी प्राप्त करेगा। वह तब मृत्यु अथवा निःशक्तता का कारण, मृतक या निःशक्तता के मामले में आवेदक की उम्र, मृतक के विधिक आश्रितों का सत्यापन तथा दावे की जॉच करेगा।

(3) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आवेदन की प्राप्ति के 14 दिनों के भीतर जॉच-पड़ताल पूर्ण कर, बिना किसी विलम्ब के, जॉच-प्रतिवेदन यथास्थिति, जिला पदाधिकारी या श्रम अधीक्षक को भेज देगा।

(4) ऐसे जॉच प्रतिवेदन पर, जिला पदाधिकारी अथवा श्रम अधीक्षक द्वारा यथाशीघ्र तेजी से कार्रवाई प्रारम्भ की जाएगी । यदि प्रतिवेदन पर श्रम अधीक्षक द्वारा कार्रवाई की जानी हो, तो वे जॉच-प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ जिला पदाधिकारी को उचित कार्रवाई हेतु भेज देंगे ।

10 (1) यदि जिला पदाधिकारी उचित समझें तो वे दावे की जॉच-पड़ताल स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी वरीय पदाधिकारी से करायेंगे । उक्त जॉच-पड़ताल प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से प्राप्त जॉच-प्रतिवेदन की प्राप्ति के 21 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा ।

(2) यदि जिला पदाधिकारी जॉच-प्रतिवेदन से संतुष्ट हों तो जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर दावे पर निर्णय लेंगे । दावा की स्वीकृति के मामले में अनुदान का भुगतान क्रॉस चेक / डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से मृतक के आश्रित को या निःशक्तता के मामले में समुचित सत्यापन करने के पश्चात् आवेदक को किया जाएगा । यदि दावे को अस्वीकृत किया जाता है, तो अस्वीकृति का कारण सहित सूचना दावेदार को यथाशीघ्र भेज दिया जाएगा ।

11 प्राप्त आवेदनों की जॉच–पड़ताल और लिए गए निर्णय से संबंधित [illegible] प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / श्रम अधीक्षक / जिला पदाधिकारी के कार्यालय में संधारित किया जाएगा ।

छात्रवृति हेतु प्राप्त आवेदनों का निपटारा

12 कार्यकारी निदेशक, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति या कोई अन्य प्राधिकृत पदाधिकारी छात्रवृति के अनुदान हेतु आवेदन की प्राप्ति के बाद तुरंत प्रक्रिया प्रारम्भ करेंगे । यदि दावा मंजूर किया जाता है, तो चेक/ डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से वित्तीय सहायता, संबंधित विद्यालय, महाविद्यालय, संस्थान के प्रधानाध्यापक/ प्राचार्य को आवेदक को भुगतान करने के लिए भेजा जाएगा । यदि दावे को नामंजूर किया जाता है, तो कारण सहित इसकी सूचना दावेदार को संबंधित संस्थान के माध्यम से यथाशीघ्र भेज दी जाएगी ।

13 छात्रवृति हेतु प्राप्त आवेदन का निपटारा समिति कार्यालय में इसकी प्राप्ति की तिथि से 14 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा ।

14 सबंधित उच्च विद्यालय/ इंटरमीडिएट कॉलेज / संस्थान के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य द्वारा संबंधित चेक / डिमाण्ड ड्राफ्ट समुचित सत्यापन करने के पश्चात संबंधित छात्र को उपलब्ध करा दिया जाएगा एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रपत्र–4 में समिति को हस्तगत कर दिया जाएगा।

15 प्राप्त आवेदनों एवं लिये गये निर्णय का रिकार्ड समिति के कार्यालय द्वारा संधारित किए जाएंगे।

चोट एवं असाध्य रोगों के मामलों में चिकित्सा सहायता हेतु प्राप्त आवेदनों का निपटारा

16 चोटों एवं असाध्य रोगों के मामलों में चिकित्सा सहायता हेतु प्राप्त आवेदनों पर श्रम अधीक्षक / जिला पदाधिकारी द्वारा शीघ्र कार्रवाई की जाएगी । यदि आवेदन श्रम अधीक्षक द्वारा प्राप्त किया गया है तो वे आवेदन के जॉच–पड़ताल के पश्चात, अपने मंतव्य के साथ, जिला पदाधिकारी को निर्णय हेतु भेज देंगे ।

17 यदि जिला पदाधिकारी दावे से संतुष्ट हों तो वे दावों को शीघ्रातिशीघ्र विनिश्चित करेंगें। दावों को विनिश्चित करने में जिला पदाधिकारी जिला के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से परामर्श कर सकेंगे। हालांकि इस प्रकार के परामर्श में अनावश्यक समय नहीं लगना चाहिए ।

18 दावे के मंजूर होने के मामले में, अनुदान का भुगतान चेक / डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आवेदक को, समुचित सत्यापन के पश्चात किया जाएगा । दावों के नामंजूर होने की दशा में कारण सहित इसकी सूचना आवेदक को यथासंभव शीघ्र भेज दी जाएगी ।

19 चोट के पश्चात अस्पताल में भर्त्ती के मामले में अनुदान के लिए आवेदन का निपटारा उसकी प्राप्ति से सात दिनों के भीतर कर दिया जाएगा ।

20 असाध्य रोगों के मामलों में अनुदान के लिए आवेदन का निपटारा उसकी प्राप्ति से 14 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा।

21 प्रांप्त आवेदनों, की गई जॉच–पड़ताल एवं विनिश्चय का अभिलेख का संधारण श्रम अधीक्षक / जिला पदाधिकारी कार्यालय द्वारा किया जाएगा ।

अपील

22 जिला पदाधिकारी या समिति के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति श्रमायुक्त, बिहार के समक्ष अपील कर सकेगा जिसका विनिश्चय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा । श्रमायुक्त ऐसे सभी अपील का निपटारा उनके दायर करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर कर देंगे।

मामलों के निपटारा में पारदर्शिता

23 इस योजना के अधीन दावे के निपटारे में सभी स्तरों पर पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी।

24 पूरी पारदर्शिता बरतने हेतु जिला पदाधिकारी, समिति या श्रमायुक्त, बिहार द्वारा पारित सभी आदेश आम जनता के सूचनार्थ यथानुसार संबंधित जिला, समिति या श्रमायुक्त, बिहार के वेबसाईट पर डाल दिया जाएगा ।

25 लाभान्वितों की सूची समय–समय पर, संबंधित जिला, समिति एवं श्रम संसाधन विभाग के वेबसाईट पर डाल दी जाएगी।

26 नोडल प्राधिकार – (1) बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, जो श्रम संसाधन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित की गई है, राज्य स्तर पर योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए नोडल प्राधिकार होगी ।

(2) जिला पदाधिकारी जिला स्तर पर योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए नोडल प्राधिकार होंगे ।

(3) यथास्थिति, श्रम अधीक्षक / सहायक श्रम आयुक्त या जिला पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी जिला स्तर पर इस योजना के प्रभारी होंगे । ऐसे प्रभारी पदाधिकारी को डिस्ट्रीक्ट की मैनेजर के रूप में पदचिन्हित किया जाएगा ।

27. सामान्य –यदि कामगार / शिल्पकार के पास, आम आदमी बीमा योजना के अलावा कोई अन्य बीमा पॉलिसी है, तो भी वह एवं उसके आश्रितों को इस योजना का लाभ देने से इनकार नहीं किया जाएगा।

28. संबंधित पदाधिकारी अगर स्वेच्छाचारितापूर्वक इस योजना के अन्तर्गत अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में असफल पाये जाएंगे, तो उनके विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी ।

29 कठिनाईयों का निष्पादन – यदि इस योजना के किसी प्रावधान के निर्वचन या कार्यान्वयन के संबंध में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो श्रम संसाधन विभाग को कठिनाईयों को दूर करने का अधिकार होगा एवं उसका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ।

30 श्रम संसाधन विभाग को समय–समय पर, योजना के कार्यान्वयन हेतु दिशा–निर्देश जारी करने का अधिकार होगा।

31 संशोधन एवं निरसन – राज्य सरकार को इस योजना के किसी अथवा सभी प्रावधानों को संशोधन अथवा निरसन करने की शक्ति होगी।

संख्या–आ0आ0बी0यो0(को0)10/2008 श्र0 सं0–1197

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 19/3/12

(व्यास जी)

प्रधान सचिव।

अधिसूचना

पटना, दिनांक :– 19 मार्च, 2012

एस0 ओ0 – दिनांक :– का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्य के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भा ा में उसका प्राधिक त पाठ समझा जाएगा।

संख्या–आ0आ0बी0यो0(को0)10/2008 श्र0 सं0– 1197

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 19/3/12

(व्यास जी)

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक – आ0आ0बी0यो0(को0)10/2008 श्र0 सं0 1197 पटना, दिनांकः– 19.3.12

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना की 5000 प्रतियॉ श्रम संसाधन विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

ह0 19/3/12

(व्यास जी)

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक – आ0आ0बी0यो0(को0)10/2008 श्र0 सं0 1197 पटना, दिनांकः– 19.3.12

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 19/3/12

(व्यास जी)

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक – आ0आ0बी0यो0(को0)10/2008 श्र0 सं0 1197 पटना, दिनांकः–19.3.12

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार सरकार/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार सरकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 19/3/12

(व्यास जी)

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक – आ0आ0बी0यो0(को0)10/2008 श्र0 सं0 1197 पटना, दिनांकः– 19.3.12

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार सरकार/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार सरकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक – आ0आ0बी0यो0(को0)10/2008 श्र0 सं0 1197 पटना, दिनांकः– 19.3.12

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव/विकास आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/योजना एवं आवास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक – आ0आ0बी0यो0(को0)10/2008 श्र0 सं0 1197 पटना, दिनांकः– 19.3.12

प्रतिलिपि : मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव/उप मुख्यमंत्री, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक – आ0आ0बी0यो0(को0)10/2008 श्र0 सं0 1197 पटना, दिनांकः– 19.3.12

प्रतिलिपि : सभी विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, श्रम संसाधन विभाग/श्रमायुक्त/संयुक्त श्रमायुक्त/सभी उप श्रमायुक्त/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/आय व्ययक प्रशाखा–02(प्रशाखा पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव।

अनुसूची I

असाध्य रोगों की सूची एवं चिकित्सीय सहायता की दर

क्र. सं.	बीमारी का नाम	उपचार की प्रकृति	चिकित्सकीय सहायता की राशि(रू०)
1	कैंसर	शल्य चिकित्सा(शल्य क्रिया के साथ)	25000
		बगैर शल्य चिकित्सा(बिना शल्य क्रिया)	15000
2	हृदय रोग	डी.भी.आर.(डबल भाल्भ रिप्लेसमेंट)	30000
		एम.भी.आर.(मित्रल भाल्भ रिप्लेसमेंट)	25000
		पेस मेकर	25000
		स्टेनोसिस/बैलून भालभोटोमी	15000
		सी.ए.बी.जी. (कोरोनरी आर्टरी बाइपास ग्राफ्ट)	25000
		पी.टी.सी.ए. परक्युटिनियस ट्रांसलुमिनियस कोरोनरी एंजियो प्लास्टी	25000
		ए .एस.डी.(एट्रियल सेप्टल डिफेक्टस)/भी.एस.डी.	15000
3	रिनल(किडनी)बीमारी	शल्य चिकित्सा(शल्य क्रिया के साथ)	30000
4	ब्रेन ट्यूर	लघु शल्य क्रिया	10000
		वृहद	20000
5	एड्स	मेडिकल एटेंडेंट के निर्णय के अनुरूप	25000
6	पूर्ण कुल्हा एवं घुटना बदलना	शल्य क्रिया द्वारा	10000
7	वृहत् भसकुलह शल्य चिकित्सा	शल्य क्रिया द्वारा	10000
8	बोन मैरो ट्रांसप्लाटेशन	शल्य क्रिया द्वारा	10000
9	स्पाइनल शल्य चिकित्सा	शल्य क्रिया द्वारा	7500